बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 89 / आ० पटना, दिनांक 12-1-18

सं0 सं0–05 / उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 07 / 2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0, निदेशालय, बिहार, पटना।
उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर।
प्रबंधक, पॉलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण–सह–उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर।

विषय :– **मुख्य शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.103.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को रू0 1,94,100 / – (एक लाख चौरानवे हजार एक सौ रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल **रू0 1,94,100 / – (एक लाख चौरानवे हजार एक सौ रूपये)** मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड– 23-2851.00.103.0001 के अन्तर्गत विकलित होगा। राशि का मदवार वितरण निम्नवत् होगा :–

क्र.	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मदवार आवंटित राशि (रू0)							
			वेतन 0001.01.01	जीवन यापन भत्ता 0001.01.03	मकान किराया भत्ता 0001.01.04	चिकित्सा भत्ता 0001.01.05	योग–वेतनादि	सामग्री एवं पूर्तियाँ 0001.21.01	छात्रवृति / वजीफा 0001.34.01	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना	वरीय लेखा पदाधिकारी, ह0रे0 निदेशालय, पटना	19200	25960	3840	1000	50000	0	29100	79100
2	हस्तकरघा सघन विकास की योजना भागलपुर	उप विकास पदाधिकारी (वस्त्र), भागलपुर	40000	54000	4000	2000	100000	0	0	100000
3	पौलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर	प्रबंधक, पौलिस्टर एवं सिल्क वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर	0	0	0	0	0	15000	0	15000
4		**योग**	**59200**	**79960**	**7840**	**3000**	**150000**	**15000**	**29100**	**194100**

कृ0 पृ0 उ0

3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2017–18 मे स्थापना व्यय वहन करने हेतु दिया जा रहा है।

4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

(च) 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–103–हथकरघा उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0001–हथकरघा के विकास की योजना, विपत्र कोड–23-2851.00.103.0001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को रू0 1,94,100/– (एक लाख चौरानवे हजार एक सौ रूपये) मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका–11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 89 / उ0नि0 पटना, दिनांक 12-1-18

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 89 / उ0नि0 पटना, दिनांक 12-1-18

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।